

विशेष सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग कर्मी को अनुमान्य ग्रेड-पे 2800 से अधिक दिये जाने के संबंध में दिनांक-20.02.19 को आयोजित बैठक की कार्यवाही:-

1. उपस्थिति पंजी के अनुसार -

(i) आज की पाक्षिक बैठक में सभी प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय उपस्थित थे।

2. महालेखाकर बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध करायी गयी बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग कर्मी जिन्हें PB-1+ 2800 के स्थान पर PB-2+4200/- में वेतन/सेवांत लाभ प्राप्त हुआ है

क्र०	सेवानिवृत्त कर्मी का नाम	पदस्थापन स्थान	प्रभारी चि०पदा०/सिविल सर्जन द्वारा की गयी कार्रवाई	बैठक में दिये गये निदेश
1.	श्री देवेन्द्र प्रसाद राय से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, महनार, वैशाली	पी०पी०ओ० प्राप्त ।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
2.	श्री शंकर प्रसाद सिंह से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, बोचहा मुजफ्फरपुर	पी०पी०ओ० प्राप्त ।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
3.	श्री राघव प्रसाद साही से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर	पी०पी०ओ० अप्राप्त ।	प्रधान लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को संबंधित पी०पी०ओ० अविलंब उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिया गया है।
4.	श्री जगदीश प्रसाद से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, ओकारी, जहानाबाद	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
5.	श्री नार्गेन्द्र शर्मा, से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, सिकरिया, जहानाबाद	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
6.	श्री भुनेश्वर प्रसाद सिंह, से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, नारदीगंज, नवादा	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
7.	श्री कैलाश झा, से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, बेनीपट्टी, मधुबनी	महालेखाकर के पत्रांक- 04/पेन- 270618041706 /201511041843 पी००२ दिनांक- 12.07.2018 के अनुसार इनका ग्रेड-पे- 2800 निर्धारित कर दिया गया है।	अधिक देय राशि के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी एवं लिपिक की सूची उपलब्ध करावे।
8.	श्री रघुनाथ राम, से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर	पी०पी०ओ० अप्राप्त ।	प्रधान लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को संबंधित पी०पी०ओ० अविलंब उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिया गया है।

9.	मो० यासिन अंसारी, से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, नारदीगंज, नवादा	संशोधित पी०पी०ओ० प्राप्त ।	नियमानुकूल की जाय ।	कार्रवाई
10.	श्री भृगुनाथ तिवारी, से०नि०	सदर प्रखंड, मोतिहारी पू० चम्पारण	पी०पी० ओ० प्राप्त हो चुकी है ।	नियमानुकूल की जाय ।	कार्रवाई
11.	श्री अवध प्रसाद सिंह, से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, नारदीगंज, नवादा	पी०पी० ओ० प्राप्त हो चुकी है ।	नियमानुकूल की जाय ।	कार्रवाई
12.	श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह, से०नि०	जिला मलेरिया कार्यालय, पटना	जिला मलेरिया पदाधिकारी, पटना के पत्रांक— 425 दिनांक— 18.08.18 के अनुसार श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक है न कि बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता ।		
13.	श्री हरिवल्लभ राम से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, दुर्गावती, कैमूर	पी०पी०ओ० प्राप्त ।	नियमानुकूल की जाय ।	कार्रवाई
14.	श्री इन्द्रचन्द्र प्रसाद से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, जिला मलेरिया कार्यालय, आरा	प्रधान लिपिक, भोजपुर के अनुसार श्री इन्द्रचंद्र प्रसाद बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक है, न कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवक ।		
15.	श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, देसरी, वैशाली	पी०पी०ओ० प्राप्त ।	नियमानुकूल की जाय ।	कार्रवाई
16.	श्री रामाश्रय शर्मा से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, सोनमद्र, बंशी सूर्यपुर, अरवल	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है ।	नियमानुकूल की जाय ।	कार्रवाई
17.	श्री कैलाश पाठक से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, काको, जहानाबाद	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है ।	तथैव	
18.	श्री राजेन्द्र सिंह से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, काको, जहानाबाद	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है ।	तथैव	
19.	श्री रमेश चंद्रा से०नि०	सदर अस्पताल, जहानाबाद	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है ।	तथैव	
20.	श्री शंकर शर्मा, से०नि०	सदर प्रखंड, मोतिहारी	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है ।	तथैव	
21.	श्री परमानंद सिंह प्रभाकर, से०नि०	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,	सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक—3228 दिनांक—24.08. 18 के अनुसार श्री सिंह		

भागलपुर

बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक है।

2. स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित किये गये बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग कर्मी जिन्हें PB-1+ 2800 के स्थान पर PB-2+4200/- में वेतन/सेवांत लाभ प्राप्त हुआ है:-

क्र०	जिला का नाम	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम	प्रभारी चि०पदा०/सिविल सर्जन द्वारा की गयी कार्रवाई	बैठक में दिये गये निदेश
1.	पूर्वी चम्पारण	1. रघुनाथ पंडित, से०नि०	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
		2. अंगवारूलहक, से०नि०	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है।	तथैव
		3. कृष्ण कुमार, (सेवानिवृत्त)	पी०पी०ओ० प्राप्त हो चुका है।	तथैव
2.	जमुई	1. अरविन्द कुमार (सेवानिवृत्त)	सिविल सर्जन जमुई के पत्रांक-1526 दिनांक-18.08.18 के अनुसार श्री अरविन्द कुमार का पेंशन का निर्धारण 2800 ग्रेड-पे के अनुसार ही किया गया है।	
		3. जहानाबाद	1. स्व० महेश प्रसाद	पी०पी०ओ० प्राप्त।
3.	जहानाबाद	2. सिधु सिंह यादव	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
		3. श्री अवधेश कुमार शर्मा	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
		4. सैयद सेराज अहमद सभी से०नि०	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
		4. खगड़िया	1. बिर्नेद बिहारी मिश्रा, से०नि०	सिविल सर्जन, खगड़िया के पत्रांक-1659 दिनांक-06.08.18 के अनुसार श्री मिश्रा को 2800 ग्रेड-पे के अनुसार तृतीय वित्तीय उन्नयन में 2800 ग्रेड-पे ही दिया गया है।
5.	लखीसराय	1. महेश प्रसाद सिंह	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
		2. दुर्गा प्रसाद सिंह, सभी से०नि०	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
6.	सारण	1. शंभुनाथ सिंह	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
		2. राजेन्द्र प्रसाद सिंह	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
		3. सुरेश कुमार शर्मा (सभी से०नि०)	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
7.	वैशाली	1. श्री रामनरेश सिंह	प्रधान लिपिक सिविल	विभागीय

		से०नि०	सर्जन कार्यालय, वैशाली द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकर कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर श्री रामनरेश सिंह के पेंशन का पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है। इनकी एवं इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है।	पत्रांक-46(4) दिनांक-07.01.19 के अनुसार कार्रवाई की जाय।
8.	मधुवनी	1.रामानंद झा से०नि०	सिविल सर्जन, मधुवनी के पत्रांक-2085 दिनांक-28.08.18 के अनुसार श्री झा को 2800/-ग्रेड पे के आधार पर ही पेंशन/उपादान की स्वीकृति महालेखाकर बिहार, पटना के पी०पी०ओ० सं०-201411042841 द्वारा दी गयी है।	
9.	मुजफ्फरपुर	1.श्री हरिनाराण चौधरी	पी०पी०ओ० प्राप्त।	नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।
		2.श्री मदन प्रसाद	पी०पी०ओ० प्राप्त।	तथैव
		3.श्री जगदीश प्रसाद	पी०पी०ओ० प्राप्त।	तथैव
		4 श्री उग्रेश झा	पी०पी०ओ० प्राप्त।	तथैव
		5.श्री रामस्वारथ राजेश सभी से०नि०	पी०पी०ओ० प्राप्त।	तथैव

बुनियादि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अनुमान्य से अधिक राशि का भुगतान करने वाले पदाधिकारी एवं लिपिक की सूची तथा अनुमान्य से अधिक राशि की विवरणी उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पत्रांक-46(4) दिनांक- 07.01.19 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी थी।

उक्त पत्र के आलोक में नवादा, जहानाबाद,, अरवल, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी जिले द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। लखीसराय, पूर्वी चम्पारण तथा कैमूर का प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। दिनांक-01.03.19 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आश्वासन इन जिलों द्वारा दिया गया है।

नवादा, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिलों द्वारा चिन्हित किये गये चिकित्सा पदाधिकारियों से अनुमान्य से अधिक दी गयी राशि के वसूली के संबंध में विभागीय पत्रांक-169(4) दिनांक-25.01.19 एवं 266(4) दिनांक-11.02.19 द्वारा आदेश दिया गया है। सिर्फ

नवादा जिले द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, अरवल, जहानाबाद एवं सारण द्वारा प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

अनुमान्य 2800/-रु0 ग्रेड पे पर पेंशन निर्धारित करते हुए ससमय पी0पी0ओ0 उपलब्ध कराने हेतु दिये गये निदेश की अवहेलना करने के कारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, कुडनी, (मुजफ्फरपुर) तथा उनके प्रधान लिपिक को उनके एक वेतनवृद्धि संचयात्मक रूप से अवरूद्ध करने के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।

3. 29 जिला यथा- 1.अररिया, 2.औरंगाबाद, 3.बांका, 4.बेगुसराय 5.भागलपुर, 6.भोजपुर, 7.गया, 8. गोपालगंज, 9. किशनगंज, 10.मधेपुरा, 11.नालंदा, 12. पटना, 13.रोहतास, 14.समस्तीपुर, 15.शेखपुरा, 16.शिवहर, 17.सीतामढी, 18. सिवान, 19. सुपौल एवं 20. पश्चिम चम्पारण 21. पूर्णिया 22.सहरसा 23.कटिहार 24. नवादा 25. अरवल 26.दरभंगा 27.कैमूर 28.मधुवनी 29.मुंगेर का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सिविल सर्जन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग का ग्रेड-पे 2800 से अधिक नहीं दिया गया है। ऐसा कोई मामला उनके यहाँ लंबित नहीं है।

4. ANM- का रोस्टर क्लीयरेंस:-33 जिला यथा- औरंगाबाद, बेगुसराय, बक्सर, गोपालगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा पूर्णियां, शिवहर, सीतामढी, सिवान सुपौल एवं बांका, रोहतास, अरवल, भोजपुर, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, कैमूर, खगड़िया, जहानाबाद, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शेखपुरा सारण, समस्तीपुर एवं कटिहार जिलों द्वारा प्रशाखा को उपलब्ध करा दी गयी है। 05 जिला यथा- मुंगेर, पटना, भागलपुर पूर्वी चम्पारण एवं गया का रोस्टर संबंधित संचिका संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय में ही है।

उपरोक्त 05 जिले जिनके सिविल सर्जन द्वारा जिनके द्वारा ए0एन0एम0 रोस्टर क्लीयरेंस की संचिका जिलाधिकारी के पास उपस्थापित नहीं की गयी है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे यथाशीघ्र संबंधित संचिका जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दें। अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें।

5. ए0एन0एम0 के वेतनादि संबंधी वार्षिक आवंटन के लिए अधियाचना :- ए0एन0एम0 के वेतनमद में एरियर छोड़कर एक वर्ष में कितना खर्च होता है, इसकी स्पष्ट विवरणी के साथ आगामी बैठक में उपस्थित होने का निदेश सभी प्रधान लिपिक को दिया गया।

6. ECG Technician का रोस्टर क्लीयरेंस :- बांका, बेगुसराय, गया, नालंदा, शेखपुरा, गोपालगंज, बक्सर, सहरसा, मधेपुरा, औरंगाबाद, शिवहर, जहानाबाद, नवादा, खगड़िया, सीतामढी, पूर्णिया, सुपौल, रोहतास, जमुई, अरवल, कटिहार एवं कैमूर द्वारा जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित रोस्टर उपलब्ध करा दी गयी है। अन्य 16 जिलों को भी यथाशीघ्र जिलाधिकारी द्वारा इ0सी0जी0 टैक्नीशियन का अनुमोदित रोस्टर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

7. OT. Assistant का बांका, औरंगाबाद, नवादा, पूर्णियां, जहानाबाद, सीतामढी, खगड़िया, रोहतास, बक्सर, अरवल एवं मधेपुरा जिले द्वारा जिलाधिकारी द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस करवाकर उपलब्ध करा दी गई है। अन्य जिलों को भी यथाशीघ्र जिलाधिकारी द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस कराने का निदेश दिया गया।

8. Lab Technician का जिलाधिकारी द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस सीतामढ़ी, सुपौल, औरंगाबाद खगड़िया, मधेपुरा एवं जहानाबाद, सिवान जिले द्वार उपलब्ध करा दी गई है। अन्य जिलों को भी यथाशीघ्र जिलाधिकारी द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस कराने का निदेश दिया गया।
9. यह भी निदेश दिया गया कि जिले में सभी पदस्थापित Para Medicals संवर्ग के कर्मियों के नाम पदस्थापन स्थान, एवं पदस्थापन अवधि यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि उनके पदस्थापन को तार्किक या युक्तिसंगत बनाया जा सके। इस संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया गया है कि सभी जिलों द्वारा सभी 31 पदों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इन पदों के संबंध में जिलों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जिलावार सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा--04, 06, 10, 11, 12 इसका डटाबेस तैयार करायेंगे। सभी जिले के प्रधान लिपिक को इससे संबंधित सूची अगले बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
10. दवा भंडार के निरीक्षण के संबंध में:- जिले के सभी अस्पतालों के दवा भंडार का पंद्रह दिनों के समयान्तराल पर नियमानुसार भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाय ताकि कोई भी दवा एक्सपायर नहीं हो सके। संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. विभाग के निम्न प्रशाखा अंतर्गत लंबित समादेश याचिका की जिलावार सूची निम्नवत है:-

क्र०	जिला	कुल
1	अररिया	02
2.	अरवल	00
3.	औरंगाबाद	02
4.	बांका	04
5.	बेगुसराय	02
6.	बेतियां	06
7.	भागलपुर	04
8.	भोजपुर	05
9.	बक्सर	01
10.	दरभंगा	08
11.	मोतिहारी	16
12.	गया	04
13.	भभुआ	06
14.	जमुई	04
15.	जहानाबाद	00
16.	कटिहार	07
17.	खगड़िया	04
18.	किशनगंज	00
19.	लखीसराय	01
20.	मधेपुरा	06
21.	मधुबनी	06
22.	मुंगेर	01
23.	मुजफ्फरपुर	06

24.	नालंदा	06
25.	नवादा	00
26.	पटना	08
27.	रोहतास	04
28.	सहरसा	03
29.	समस्तीपुर	04
30.	सारण	09
31.	शेखपुरा	03
32.	शिवहर	01
33.	सिवान	01
34.	सितामढी	07
35.	सुपौल	04
36.	वैशाली	03
37.	गोपालगंज	06
38.	पूर्णिया	01

अवमाननावाद की जिलावार सूची

1.	अररिया	00
2.	अरवल	00
3.	औरंगाबाद	00
4.	बांका	00
5.	बेगुसराय	00
6.	बेतियां	00
7.	भागलपुर	00
8.	भोजपुर	01
9.	बक्सर	00
10.	दरभंगा	01
11.	मोतिहारी	02
12.	गया	00
13.	भभुआ	00
14.	जमुई	00
15.	जहानाबाद	01
16.	कटिहार	00
17.	खगड़िया	00
18.	किशनगंज	00
19.	लखीसराय	00
20.	मधेपुरा	00
21.	मधुबनी	00
22.	मुंगेर	00
23.	मुजफ्फरपुर	05
24.	नालंदा	00
25.	नवादा	00

26.	पटना	01
27.	रोहतास	00
28.	सहरसा	00
29.	समस्तीपुर	00
30.	सारण	00
31.	शेखपुरा	00
32.	शिवहर	00
33.	सिवान	00
34.	सितामढी	00
35.	सुपौल	02
36.	वैशाली	00
37.	गोपालगंज	00
38.	पूर्णिया	00

उपरोक्त समादेश याचिका/अवमाननावाद में नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए ससमय शपथ पत्र दायर कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का निदेश दिया गया।

12. अगली बैठक दिनांक-06.03.2019 को 11.30 बजे निर्धारित की जाती है।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

ह0/-

(राधेश्याम साह)

विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 55/वि.स.का० /स्वा०,पटना, दिनांक- 21.02.2019

प्रतिलिपि -संबंधित सिविल सर्जन एवं उनके प्रधान लिपिक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि -प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 एवं 6, 10, 11, 12 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि -प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आईटी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना